Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ विराटनगर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, तहसीलदार, कनिष्ठ सहायक एवं दलाल 55 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी एस.यू.–प्रथम, जयपुर द्वारा आज ट्रैप कार्यवाही करते हुए **संजय कुमार, तहसीलदार/उप पंजीयक, विराटनगर, जिला कोटपूतली–बहरोड़, देवीलाल, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप पंजीयक विराटनगर एवं अशोक, निजी व्यक्ति/दलाल** को परिवादी की पंजीकृत रजिस्ट्री सुपुर्द करने की एवज में 55,000/– रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी एस.यू.–प्रथम, जयपुर को दिनांक 11.08.2026 को परिवादी द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके द्वारा दिनांक 26.05.2026 को आमलोदा में 0.0742 हेक्टेयर कृषि भूमि 1,46,000/– रुपये में क्रय की गई थी, जिसकी रजिस्ट्री उप पंजीयक कार्यालय विराटनगर में पंजीकृत हुई थी। परिवादी द्वारा पंजीयन एवं स्टाम्प शुल्क के 13,931/– रुपये जमा करवाए गए थे तथा रजिस्ट्री की आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी।

परिवादी के अनुसार उक्त भूमि के संबंध में कोई विवाद, बकाया पंजीयन शुल्क, स्थगन अथवा अन्य बाधा नहीं होने के बावजूद उप पंजीयक कार्यालय विराटनगर में कार्यरत तहसीलदार/उप पंजीयक संजय कुमार एवं कनिष्ठ सहायक देवीलाल द्वारा पंजीकृत रजिस्ट्री परिवादी को सुपुर्द करने की एवज में 60,000/– रुपये रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी।

शिकायत के क्रम में दिनांक 11.08.2026 को रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी कनिष्ठ सहायक देवीलाल द्वारा 60,000/– रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई। परिवादी द्वारा 10,000/– रुपये देने का प्रयास किए जाने पर आरोपी द्वारा सम्पूर्ण राशि एक साथ लेने की बात कही गई। इसके पश्चात परिवादी द्वारा तहसीलदार/उप पंजीयक संजय कुमार से राशि कम करने का अनुरोध किया गया। आरोपी तहसीलदार द्वारा कनिष्ठ सहायक देवीलाल से बातचीत करने के पश्चात रिश्वत राशि 55,000/– रुपये तय की गई।

मांग की पुष्टि के उपरांत एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस–प्रथम डॉ. रामेश्वर सिंह** के सुपरविजन में **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रशान्त कौशिक** के नेतृत्व में **उप अधीक्षक पुलिस श्रीमती अर्चना मीणा** द्वारा की गई। दिनांक 12.08.2026 को ए.सी.बी. द्वारा ट्रैप कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान आरोपी कनिष्ठ सहायक देवीलाल द्वारा परिवादी से 55,000/– रुपये रिश्वत राशि अपनी जेब में रख ली। कुछ समय पश्चात आरोपी देवीलाल द्वारा निजी व्यक्ति अशोक को बुलाकर उक्त रिश्वत राशि उसे सौंप दी गई, जिसे आरोपी अशोक द्वारा अपनी जेब में रख लिया गया। ट्रैप कार्यवाही में रिश्वत राशि बरामद की गई। प्रथम दृष्टया आरोपियों के पास परिवादी का कार्य लंबित होना पाया गया।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस. परिमला** के सुपरविजन में आरोपियों से पूछताछ तथा अग्रिम कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।